

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती ज्योति मीणा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 571/2016 प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

गोपाल पिता मोडू रेगर निवासी कादेड़ा तहसील कैकड़ी जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. प्रेम पत्नि रामस्वरूप रेगर निवासी कादेड़ा तह0 कैकड़ी जिला अजमेर
2. गजानन्द पिता रामस्वरूप रेगर नि0 कादेड़ा तह0 कैकड़ी जिला अजमेर
3. सम्पति पिता रामस्वरूप रेगर नि0 कादेड़ा तह0 कैकड़ी जिला अजमेर
4. राधा पिता रामस्वरूप रेगर नि0 कादेड़ा तह0 कैकड़ी जिला अजमेर
नाबालिग सरपरस्त माता प्रेम पत्नि रामस्वरूप रेगर नि0 कादेड़ा तह0 कैकड़ी
जिला अजमेर
5. कालू पिता बालू मीणा निवासी बड़ला तह0 फूलियाकलां
6. सीतादेवी पत्नि गोपालदास बैरागी निवासी बड़ला तह0 फूलियाकलां
7. इन्द्रादेवी पत्नि कालूदास बैरागी निवासी बड़ला तह0 फूलियाकलां
8. सुवा पिता तेजा रेगर निवासी बड़ला तह0 फूलियाकलां
9. रामकरण पिता नाराण रेगर निवासी बड़ला तह0 फूलियाकलां
10. पूरण पिता रामकरण रेगर निवासी बड़ला तह0 फूलियाकलां
11. रामपाल पिता उगमा रेगर निवासी बड़ला तह0 फूलियाकलां
12. जगदीश पिता उगमा रेगर निवासी बड़ला तह0 फूलियाकलां
13. सोकरण पिता उगमा रेगर निवासी बड़ला तह0 फूलियाकलां

विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 11.02.2017

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बड़ला पटवार मण्डल



7

बड़ला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा मे स्थित खाता संख्या 184 मे आराजी नम्बर 613 रकबा 2.65 है0, आराजी कुल किता 01 रकबा 2.65 है0 का प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 सामलाती खातेदार काश्तकार है जिन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा विपक्षी संख्या 5 लगायत 13 पड़ोसी है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत मे रखा गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई तथा बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम बड़ला संवत 2070 से 2073 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 सामलाती खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बड़ला मे स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात किता 01 रकबा 2.65 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 1100/- रूपये (अक्षरे एक हजार/एक सौ रूपये मात्र) कायम किये जाते है जो प्रार्थी से तहसीलदार फूलियाकलां मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(ज्योति मीणा)

आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

①

उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकलां
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा